राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः आई.डी.एस.पी. / 2024 / 138 दिनांकः 28/03/24

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज,
समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,
राजस्थान।

विषयः–MUMPS केसेज के संबंध में दिशा–निर्देश बाबत्।
संदर्भः–निदेशालय के पूर्व पत्रांक 115 दिनांक 18.03.24 की निरन्तरता में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वर्तमान में MUMPS रोग के केसेज पाये जा रहे है जो विगत वर्ष की तुलना में अधिक है। संक्रामक रोग होने से प्रभावी बचाव व नियंत्रण के उपाय अविलम्ब किये जाने की आवश्यकता है।

- MUMPS एक वायरस जनित संक्रामक रोग है जो प्रायः बच्चों में होता है किन्तु वर्तमान में व्यस्को में भी पाया जा रहा है। संक्रमण होने से रोग के लक्षण आने में 16 से 18 दिवस का समय लगता है।
- रोग के लक्षण–MUMPS रोग के लक्षणो में एक या दोनों ओर की Parotid Gland (लार ग्रंथी) में दर्द व सूजन (01 से 03 दिवस तक अधिक सूजन व 01 सप्ताह में सूजन में कमी)। बुखार, मासपेशियो में दर्द, सरदर्द, भूख ना लगना।
- रोग का फैलाव–रोग श्वसन के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में खासते व छींकते समय या लार (Saliva) से सीधे संपर्क में आने से फैलता है। रोगी के संपर्क पश्चात् 2–3 सप्ताह में लक्षण आते है तथा 10 से 14 दिन तक रहते है।
- MUMPS बचाव हेतु टीकाकरण पश्चात् भी रोग हो सकता है लेकिन टीकाकरण पश्चात् यह रोग कम गंभीर होता है।
- रोग की जटिलताओं में अडकोष, स्तन, मस्तिष्क, अंडाश्य, अग्न्याश्य, रीढ की हडी के ऊतक में सूजन हो सकती है एवं दुलर्भ (Rarely) स्थिति में बहरापन भी हो सकता है।

MUMPS रोग के बचाव व नियंत्रण हेतु निम्न गतिविधियॉ सम्पादित किया जाना सुनिश्चित करें:–

- MUMPS रोग के फैलाव, लक्षण व बचाव के साथ चिकित्सकीय परामर्श हेतु जागरूक करें।
- निजी व सरकारी विद्यालयों में बच्चो में लक्षण पाये जाने पर विद्यालय द्वारा सात दिवस के लिये बच्चे को घर पर रहने एवं चिकित्सकीय सलाह देवें।
- दैनिक सर्वे के माध्यम से MUMPS रोगियों को चिन्हित करें।
- संदिग्ध व्यक्तियों के जांच हेतु सैम्पल (Urine-Plain vial, Buccal Swab-VTM, Saliva- Plain vial) एसएमएस, जयपुर को भिजवावें।
- MUMPS केसेज की रिपोर्टिंग नियमित रूप से आईएचआईपी पोर्टल पर इन्द्राज करवाना सुनिश्चित करावें।

अतः उपरोक्तानुसार आवश्यक वांछित कार्यवाही अविलम्ब सुनिश्चित कराते हुये दैनिक रिपोर्ट आईएचआईपी पोर्टल पर इन्द्राज करावें।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः आई.डी.एस.पी. / 2024 / 138 दिनांकः 28/03/24

RajKaj Ref

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, मिशन निदेशक, एनएचएम।
3. निजी सहायक, निदेशक (जनस्वास्थ्य), मुख्यालय।
4. निदेशक, एनसीडीसी, नई दिल्ली।

5. अतिरिक्त निदेशक (ग्रा0स्वा0), मुख्यालय।
6. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर
7. समस्त उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वास्थ्य), राजस्थान।
8. प्रभारी सर्वर रूम को संबंधित को ई–मेल करने बाबत्।
9. कार्यालय प्रति।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर

RajKaj Ref
6394331

Document certified by RAVI PRA
MATHUR <rpm272004@yahoo.c

Digitally Signed by RAVI
PARKASH MATHUR
Designation : Director
Date :28-03-2024 06:23: